भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5075

(दिनांक 24.07.2019 को उत्तर के लिए)

सीबीआई में भ्रष्टाचार

5075. श्री गिरिधारी यादव :

डॉ. भारती प्रवीण पवार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में भ्रष्टाचार की घटनाएं हो रही हैं/हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों हेतु इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त घटनाओं की प्रकृति क्या है;

(घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में भ्रष्टाचार रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या विभिन्न प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) उक्त प्रयासों के परिणाम क्या हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ) : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के आरोपों (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में संलिप्त सीबीआई के अधिकारियों के विरुद्ध विगत तीन वर्षों अर्थात 2016, 2017, 2018 एवं 2019 (30.06.2019 तक) के दौरान 19 नियमित मामले दर्ज किए हैं।

सीबीआई के पास आंतरिक सतर्कता मामलों और अपने ही अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने के लिए एक मजबूत कार्यतंत्र मौजूद है। सीबीआई के अधिकारियों में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं।

*****